रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 153] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 2, 1975/श्रावण 11, 1897

No. 153] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 2, 1975/SRAVANA 11, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 2nd August 1975

SUBJECT.—*Licensing conditions for the UK/India Capital Investment Loan,* 1973, *dated 24th May,* 1973.

No. 79-ITC(PN)/75.—Attention is invited to Public Notice No. 126-ITC(PN)/73, dated the 4th August, 1973 regarding terms and conditions governing issuance of import licences against UK/India Capital Investment Loan, 1973, dated 24th May, 1973.

2. The following may be deemed to have been added at the end of para V(1) of Appendix to the aforesaid Public Notice after the words "issued by Ministry of Finance" :—

"However the document at (ii) above *i.e.* Ocean or charter-party bill of lading or airway bill or parcel post receipt, need only mention the identification suffix and the Letter of Credit No.".

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1975

विषय—यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1973, दिनांक 24-5-73 के लिए लाइसेंस शर्तें ।

सं० 79-आई०टी०सी० (पी० एन०)/75.—यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1973, दिनांक 24-5-73 के प्रति आयात लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली शर्तों से सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना संख्या 126-आईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 4 अगस्त, 1973 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट के पैरा 5(1) के अन्त में "वित्त मंत्रालय द्वारा जारी" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े गए समझे जाएं :—

"लेकिन, उपर्युक्त (2) के दस्तावेज अर्थात् महासागर या चार्टर पार्टी लदान बिल या वायु मार्ग बिल या डाक पारसल रसीद के लिए केवल पहचान प्रत्यय और साखपत्र संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है।"

SUBJECT.—*Terms and conditions governing the issuance of Import Licences under UK/India Capital Investment Loan*, 1974.

No. 80-ITC(PN)/75.—Attention is invited to Public Notice No. 133-ITC(PN)/74, dated the 7th September, 1974 regarding the terms and conditions governing the issuance of import licences under the UK/India Capital Investment Loan, 1974, dated 27th March, 1974.

2. The following may be deemed to have been added at the end of para V(1) of Appendix to the aforesaid Public Notice after the words "issued by Ministry of Finance" :—

"However the document at (ii) above *i.e.* Ocean or charter-party bill of lading or airway bill or parcel post receipt, need only mention the identification suffix and the Letter of Credit No.".

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय.—यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1974 के अन्तर्गत आयात लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाले नियम तथा शर्तें ।

सं० 80-आई०टी०सी० (पी० एन०)/75.—यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1974 दिनांक 27-3-74 के अन्तर्गत आयात लाइसेंस के निर्गमन को नियंत्रित करने वाले नियम तथा शर्तों से संबंधित सार्वजनिक सूचना संख्या: 133-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 7 सितम्बर, 1974 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के लिए परिशिष्ट की कंडिका 5(1) के अन्त में "वित्त मंत्रालय द्वारा जारी" शब्दों के बाद निम्नलिखित को जोड़ा गया समझा जाए :—

"लेकिन, उपर्युक्त कंडिका (2) में अर्थात् समुद्र अथवा पोतलदान के भाड़ा बिल अथवा वायुमार्ग बिल या डाक पार्सल रसीद के लिए केवल पहचान प्रत्यय तथा साखपत्र की संख्याका उल्लेख होना आवश्यक है ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975